2017/000066

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए

प्रकरण संख्या : 2/2017 (अपील)

उनवान

1. श्रीमती भूली बाई पत्नी श्री शंकर लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी श्री महावीर जाति बैरवा निवारी ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज माधो उर्फ मंगला जाति बैरवा
2. महावीर आत्मज माधो उर्फ मंगला जाति बैरवा निवासी ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. सीता बाई पुत्री माधो उर्फ मंगला जाति बैरवा निवासी ग्राम कराडिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टान)

उपस्थित :- 1. श्री भारत सिंह अडसेला (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रामबाबू मालव (अभिभाषक रेस्पोडेण्ड)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश नामान्तकरण सं0 329
दिनांक 28.08.2015

निर्णय दिनांक : 30.12 .2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा द्वारा नामा0 सं0 329 दिनांक 28.08.2015 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार श्रीमती जग्गी बेवा माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा के खाते की आराजी वाके ग्राम किशनवास की कुल 4 किता की 2.08 है0 आराजी का पुनः नामान्तकरण जग्गी पत्नी माधो के पक्ष मे तस्दीक करने मे त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि खातेदार श्रीमती जग्गी बाई द्वारा ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा की आराजी ख0 नं0 25 रकबा 0.32 है0, ख0 नं0 37 की 0.99 है0, ख0 नं0 33 रकबा 0.53 है0 एवं ख0 नं0 380 रकबा 0.24 है0 कुल 4 किता रकबा 2.08 है0 आराजी को दिनांक 22.06.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था उक्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 305 दिनांक 20.05.2015 से अपीलान्ट के खाते दर्ज की जा चुकी है । श्रीमती जग्गी बाई द्वारा उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलांट को बेचान कर कब्जा संभलाये जाने के उपरान्त श्रीमती जग्गी बाई के उक्त आराजी मे निहित समस्त हक हकूक समाप्त हो गये थे । इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी जो अपीलांटस के नाम दर्ज हो चुकी थी को पुनः नामान्तकरण सं0 329 से श्रीमती जग्गी बाई के पक्ष मे तस्दीक करने मे त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अपीलान्ट को हुक्म जैर अपील की

सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.11.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर हुई इस पर प्रतिलिपि दिनांक 29.11.2016 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है । प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को जानबूझकर नही किया है जो कि सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है । प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 329 दि0 28.08.2015 को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री रामबाबू मालव अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराये हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार श्रीमती जग्गी बाई द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा संभलाया जा चुका है । अपीलांट वक्त खरीद से ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार निरन्तर वैधानिक रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है और वर्तमान मे भी काबिज है ।अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार श्रीमती जग्गी बेवा माधो जाति बैरवा निवासी ग्राम किशनवास तहसील पीपल्दा के खाते की आराजी वाके ग्राम किशनवास की कुल 4 किता की 2.08 है0 आराजी का पुनः नामान्तकरण जग्गी पत्नी माधो के पक्ष मे तस्दीक करने मे त्रुटि की है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 329 दि0 28.08.2015 को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाष रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । सर्वप्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है । विवादित आराजी जर्ये नामान्तकरण 305 अपीलान्ट के हक मे दर्ज की जा चुकी है। परन्तु नामान्तकरण सं0 329 से पुनः जग्गी के नाम दर्ज की गयी । जिसका कोई आधार होना प्रकट नही होता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 329 दिनांक 28.08.2015 निरस्त किया जाता है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकर्मील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा